URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(51)/ग्रावि/ग्रुप–5/PMAY-G/प्रगति/2021–22/पार्ट–2 जयपुर, दिनांक 07 सितम्बर, 2021

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।
(जयपुर, दौसा, जोधपुर, सिरोही एवं सवाई माधोपुर को छोड कर)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस के माध्यम से वंचित चिन्हित पात्र परिवारों की वर्गवार, वरीयता सूची प्रेषित करने बाबत।
प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 11.8.21 एवं 17.8.21

प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु 3,97,006 के लक्ष्य आवंटित कर शतप्रतिशत स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देशित किया है। उक्त आवंटित लक्ष्यों के क्रम में उक्तानुसार आवास प्लस के माध्यम से चिन्हित पात्र परिवारों की वर्गवार वरीयता सूची तैयार कर राज्य स्तर से अनुमोदन उपरान्त होने के उपरान्त "आवास सॉफ्ट" पर अपलोड अंतिम वर्गवार वरीयता सूची में से वरीयता क्रम में स्वीकृतियां जारी हो सकेंगी।

इस क्रम में विभागीय प्रासंगिक पत्रों के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवास प्लस के माध्यम से चिन्हित पात्र परिवारों की स्थाई वरीयता कर "आवास सॉफ्ट" पर अपलोड करने हेतु गतिविधिवार समयावधि निर्धारित की जाकर दिनांक 15.8.21 को आयोजित ग्राम सभाओं से अनुमोदित चिन्हित पात्र परिवारों की सूची जिला अपीलेट समिति को प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अंतिम तैयार अनुमोदित वरीयता सूची दिनांक 25.8.21 तक स्वीकृति जारी करने की अनुमति बाबत विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो अभी तक अप्राप्त है।

उक्त क्रम में पुनः निर्देश है कि ग्राम सभा से अनुमोदित वर्गवार वरीयता सूची के क्रम में "जिला अपीलेट कमेटी" को प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर ग्रामपंचायतवार, वर्गवार तैयार अंतिम स्थाई वरीयता सूची से स्वीकृति की अनुमति हेतु दिनांक 13.9.21 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करे।

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. निजी सचिव शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त (जयपुर, दौसा, जोधपुर, सिरोही एवं सवाई माधोपुर को छोड कर)
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
6. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि